आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3
30.07.2019	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** **ई0सी0 एक्ट वाद संख्या - 261/2018** **राज्य (प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व)** **.....-आवेदक** **बनाम** **1. श्रीचन्द नायक उर्फ चुन्ना नायक, पिता-स्व0 मोहन लाल नायक, सा0-नयाटोला कटिहार, जिला-कटिहार। (जप्त Tractor No.-BR39-1494 & Talor No.-BR39-1697 / Tractor No.-BR11A-9861 & Talor No.-BR39G-6586 के स्वामी)** **.....-विपक्षीगण** **आ दे श** प्रस्तुत वाद **के0 हाट मरंगा थाना कांड सं0-178/2018 दिनांक 21.03.2018 अंतर्गत जप्त Tractor No.-BR39-1494 & Talor No.-BR39-1697 / Tractor No.-BR11A-9861 & Talor No.-BR39G-6586 एवं उसपर लोड लगभग 70 क्विंटल अरवा चावल (पुराना प्लास्टिक रस्सा एवं पुराना तिरपाल) को** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु प्रारम्भ है। राजसात का प्रस्ताव **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 4317/सी0आर0 दिनांक 01.09.2018** द्वारा प्राप्त है। जप्त चावल श्री रंजन कुमार राय, अनुज्ञप्ति सं0-25/16, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-मरंगा पश्चिम, प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व के जिम्मेनामा पर रखा गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध सरकारी अनुदानित खाद्यान को कालाबाजारी में बेचने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया।उनका कथन है कि वे जप्त वाहन के निबंधित स्वामी हैं। जप्त अरवा चावल दिनांक 16.03.18 को मेसर्स आर्या राईस मिल जगदीशपुर, भागलपुर से खरीद कर लोड किया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद दिया जा रहा है। इस प्रकार जप्त चावल सरकारी अनुदानित नहीं है। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है	

कि जप्त वाहन एवं चावल मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, ई0सी0एक्ट पूर्णिया द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि जप्त अरवा चावल सरकारी अनुदानित पाए जाने के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा जप्त किया गया है। संबंधित पक्षकार द्वारा जप्त चावल के संबंध में कोई वैध कागजात् या तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्राप्त राजसात के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन एवं राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त खाद्यान्न के मामले में विपक्षी के द्वारा कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं लाया गया है। तद्नुसार इस मामले में विपक्षी का कृत्य बिहार सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 (यथा संशोधित 2011) का उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः इस वाद अन्तर्गत **जप्त लगभग 70 क्विंटल अरवा चावल** को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तत्संबंधी प्रावधानों के तहत् **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया** अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

साथ ही जप्त ट्रैक्टर / टेलर को मो0 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये के अलग-अलग दो बन्धपत्र पर तत्काल इस शर्त पर मुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है कि न्यायालय द्वारा कभी भी आदेश दिए जाने पर वाहन मालिक को उक्त वाहन वापस करना पड़ेगा। तद्नुसार वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का बन्धपत्र प्राप्त होने पर आदेश की प्रति अनुपालन हेतु थानाध्यक्ष, के0 हाट मरंगा को भेजेंगे। थानाध्यक्ष, के0 हाट मरंगा को आदेश दिया जाता है कि के0 हाट मरंगा थाना कांड सं0-178/18 अंतर्गत जप्त **जप्त Tractor No.-BR39-1494 & Talor No.-BR39-1697 / Tractor No.-BR11A-9861 & Talor No.-BR39G-6586 (पुराना प्लास्टिक रस्सा एवं पुराना तिरपाल)** के स्वामित्व का सत्यापन कर उचित पहचान पर वैध स्वामी को वाहन हस्तगत करा दें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।